

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रतापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 1970/चैत्र 28, 1892

No. 147]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 1970/CHAITRA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines & Metals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April 1970

S.O. 1516.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1570, dated the 24th April, 1967 read with corrigendum No. S.O. 2311, dated the 6th July, 1967, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 4,000 acres (approximately) or 1620 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedules appended to that notification;

And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1473, dated the 15th April, 1969, under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government gave notice specifying a further period of one year commencing from the 24th April, 1969, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in 523 acres (approximately) or 211.81 hectares (approximately) out of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire:—

- (a) the land measuring 101.00 acres (approximately) or 40.90 hectares (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto; and
- (b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 422.00 acres (approximately) or 170.91 hectares (approximately) described in Schedule 'B', appended hereto.

NOTE—1. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Betul (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

NOTE—2. Attention is hereby invited to the provision in section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, which provides as follows:—

- "8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, submit the case for the decision of the Central Government together with the record of the proceedings held by him and a report containing his recommendations on the objections.
- (3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

NOTE—3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

SUB-BLOCK I

GOGRI BLOCK

(Pathakhara Coalfield) "

DRG No. Rev/5/70

Dated 3-4-1970

(Showing lands to be acquired)

'All Rights'

Serial No.	Village	Patwari circle	Tahsil	District	Area in acres	Remarks
1	Ranipur Reserve forest		Betul	Betul	101.00	Part.
"	TOTAL AREA or	101.00 acres (Approximately) 40.90 Hectres (Approximately)				

Lands to be acquired in Ranipur Reserve Forest (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION

A-B-C-D-E-F—Lines pass through Ranipur Reserve forest and meet at point 'F'.

F-G—Line passes through Ranipur Reserve forest (which is the part common boundary of Sub-Block II (Mining Rights) and meets at point 'G'.

G-H-II-1—Lines pass through Ranipur Reserve forest (which is the part common boundary of Pathakhhera Block-A, acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. 2760 dated 19th September, 1963 and meet at point 'II/1'.

H/1-I-A—Lines pass through Ranipur Reserve forest (which is the part common boundary of Pathakhhera Block-II notified under section 4(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. 1353 dated 6th April, 1963 and meet at point 'A'.

SCHEDULE 'B'**SUB-BLOCK II**

DRG No.Rev/5/70.

dated 3-4-1970

(Showing lands where rights to mine, quarry bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are to be acquired).

'Mining Rights'

Serial No.	Village	Patwari circle	Tahsil	District	Area in acres	Remarks
1	Ranipur Reserve forest	..	Betul	Betul	422.00	Part.
TOTAL AREA		422.00 acres (approximately)				
OR		170.91 hectares (approximately)				

Mining Rights to be acquired in Ranipur Reserve forest (Part).

BOUNDARY DESCRIPTION

P-Q—Line passes through Ranipur Reserve forest (which is the part common boundary of Pathakhhera Block-II notified under section 4(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. 1353 dated 6th April, 1963 and meets at point 'Q'.

Q-G—line passes through Ranipur Reserve forest (which is along the eastern boundary of Pathakhhera Block-'A', acquired under section 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, vide S.O. No. 2760 dated 19th September, 1963 and meets at point 'G'.

G-F—line passes through Ranipur Reserve forest (which is the part common boundary of Sub-Block-I (All Rights) and meets at point 'F'.

F-J-K-L-M-N-O-P—lines pass through Ranipur Reserve forest and meet at starting point 'P'.

[No. C3-2(7)/70.]

K. S. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

प्रदोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1970

का० प्रा० 1516.—यतः कोयलायुक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) को धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के

भूतपूर्व इमारत, ब्राह्मण या गुरु-वासी (ब्राह्मण या गुरु-वासी) को अधिसूचना संख्या का आ० 1570, दिनांक 20 मई 1957 तथा गृहपत्र संख्या क० आ० 2311 दिनांक 6 जुलाई, 1967 द्वारा उप-अधिसूचना तथा गृहपत्र के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 4000 एकड़ (लगभग) या 1620 हेक्टेयर (नामा) भूमि में होने के निम्न सूचन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और यतः अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रयोग द्वारा सरकार के पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु (खान तथा धातु विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1473 दिनांक 15 अप्रैल, 1969 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 24 अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सूचना दी जिसमें केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना के वर्णित भूमियों को अधिग्रहीत करने या उन भूमियों में या उन पर किन्हीं अधिकारों के अपने आशय की सूचना दे सकती है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों में से 523 एकड़ (लगभग) या 211.81 हेक्टेयर में कोयला अभिप्राय है ;

अतः, अब, कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम की धारा (7) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ;

(क) इससे संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित 101.00 एकड़ (लगभग) या 40.90 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि ; और

(ख) इससे संलग्न अनुसूची 'ख' में वर्णित 422.00 एकड़ (लगभग) या 170.91 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमियों से खनिजों के जीतने और ले जाने के लिये खनन, खदान, छिद्र, गड्ढे और खोज करने के अधिकारों ;

को अधिग्रहण करने के लिये अपने आशय की सूचना दे दी है ।

टिप्पणी :- इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के तथ्यों का निरीक्षण कलेक्टर, बेसुल (मध्य प्रदेश) या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरवगा हाऊस, रांची, (बिहार) में किया जा सकेगा ।

टिप्पणी :- 2. कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 में उपबन्ध की धारा 8 द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है जो निम्नलिखित उपबन्धित करता है ;

"8 (1) किसी ऐसी भूमि में ज़िम्मेदारी में धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वह रखन वाला कोई व्यक्ति, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिन के अन्दर, उस सारी भूमि के या किसी भाग के अधिग्रहण पर या उस भूमि पर किन्हीं अधिकारों के विरुद्ध आयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण : किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना कि वह स्वयं उस भूमि में कोयले के लिये खनन कार्य करना चाहता है और यह कार्य केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किये जाने चाहिये इस धारा के शब्दों के भीतर आशेष नहीं समझा जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप प्राधिकारी को लिखित रूप से की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आक्षेप को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी के द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और यदि कोई हो, ऐसी सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और आगे जांच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझता है, अपने द्वारा की गई कार्यवाही के रिकार्ड, तथा आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों सहित, उस मामले को केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये उस व्यक्ति को भूमि में अभिलिखित रखने वाला समझा जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन इस भूमि या इस पर या इससे किन्हीं अधिकारों का अभिग्रहण किए जाने की व्यवस्था में क्षतिपूर्ति के व्याज के दावों का हकदार होगा।

टिप्पणी: 3 कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-1, को केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

गोगरी खंड

क्रांति संख्या—राजस्व/5/70

(पाया खेड़ा कोयला क्षेत्र)

दिनांक 3-4-1970

(अभिग्रहीत की जाने वाली भूमियां दर्शित करने वाला)

अनुसूची "क"

उपखंड-1,

"सभी अधिकार"

क्रम सं०	गांव	पटवारी सर्कल	तहसील	जिला	एकड़ों में क्षेत्र	टिप्पणियां
1	रानीपुर	आरक्षित वन	बेगुल	बेगुल	101.00	भाग
		कुल क्षेत्र :	101.00 एकड़ (लगभग)			
		या :	40.90 हेक्टेयर (लगभग)			

रानीपुर आरक्षण में अभिग्रहण की जा सकने वाली भूमियां (भाग)

सीमा वर्णन

क-ख-ग-घ-ङ-च	लाइनें रानीपुर आरक्षण वन में से गुजरती हैं और बिन्दु "च" पर मिलती हैं।
च-छ	लाइन रानीपुर आरक्षण वन [जो कि उप-खण्ड दो (खनन अधिकारों) की सामूहिक सीमा का भाग है] और बिन्दु "छ" पर मिलती हैं।
छ-ज-ज/1	लाइनें रानीपुर आरक्षित वन में से [जो कोयला युक्त क्षेत्र (अभिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन का० आ० संख्या 2760, दिनांक 19 सितम्बर, 1963 द्वारा अभिग्रहीत पाया खेड़ा खण्ड की सामूहिक सीमा का भाग है] गुजरती हैं और बिन्दु ज/1 पर मिलती हैं।
ज/1-झ-क	लाइनें रानीपुर आरक्षित वन में से [जो कोयला युक्त क्षेत्र (अभिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) के अधीन का० आ० संख्या 1353 दिनांक 6 अप्रैल, 1968 द्वारा अभिसूचित पाया खेड़ा खण्ड 2 की सामूहिक सीमा का भाग है] गुजरती हैं और बिन्दु "क" पर मिलती हैं।

अनुसूची "ख"

उपखंड-2	डाईंग संख्या राजस्व/5/70 दिनांक के अप्रैल, 1970। (वह भूमियां दिखाने वाला जिन में खनिजों की खोज करने, जोतने कार्य करने तथा ले जाने के लिये खनन, खदान, छिद्र गढ़े करने के अधिकार अभिग्रहीत किये जाते हैं)।
---------	--

"खनन अधिकार"

क्रम सं०	गांव	पटवारी सर्कल	तहसील	जिला	एकड़ों में क्षेत्र	टिप्पणियां
1	रानीपुर		बेतुल	बेतुल	422.00	भाग

आरक्षित वन कुल क्षेत्र : 422.00 एकड़ (लगभग)
या : 170.91 हेक्टेयर (लगभग)

रानीपुर आरक्षित वन (भाग) में खनन अधिकारों का अभिग्रहण किया जाना है।

सीमा वर्णन :

त-थ	लाईन रानीपुर आरक्षित वन में से [जो कोयला युक्त क्षेत्र अभिग्रहण तथा विकास अधिनियम, 1957 को धारा 4 (1) के अधीन का० आ० संख्या 1353 दिनांक 6 अप्रैल, 1968 द्वारा अधिपूचित पायाबेड़ा खंड "क" की सामूहिक सीमा का भाग है] गुजराती और बिन्दू "थ" पर मिलती है।
थ-छ	लाईन रानीपुर आरक्षित वन में से [जो कोयला युक्त क्षेत्र अभिग्रहण तथा विकास अधिनियम, 1957 को धारा 9 (1) के अधीन का० आ० संख्या 2760 दिनांक 19 सितम्बर, 1963 द्वारा अधिग्रहीत पायाबेड़ा खंड "क" की पूर्वी सीमा के साथ है, गुजराती है और बिन्दू "छ" पर मिलती है।
छ-घ	लाईन रानीपुर आरक्षित वन में से [जो उप-खण्ड (सभी अधिकार) की सामूहिक सीमा का भाग है] गुजराती है और बिन्दू "घ" पर मिलती है।
घ-ज-ट-ठ-ड	लाईन रानीपुर आरक्षित वन में से गुजराती है और प्रवर्तक बिन्दु "त" पर मिलती है।
ड-ण-त	

[कोयला-3-2(7)/70.]

के० एस० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव।